षोडश

बिहार विधान-सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 24 फाल्गुन, 1937 (श0) / 14 मार्च, 2016 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 106

(1) गृह विभाग	-	-	60
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-	-	11
(3) उद्योग विभाग	-	-	04
(4) वित्त विभाग	-	-	04
(5) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	-	-	02
(6) सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	10
(7) गन्ना उद्योग विभाग	-	-	06
(8) वाणिज्यिक वित्त विभाग	-	-	05
(9) वाणिज्य-कर विभाग	-	-	01
(10) निगरानी विभाग	-	-	02
(11) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	-	-	01
		कुल योग —	106

ऋण दिलाने का विचार

'क'-*102. श्री अचमित ऋषिदेव–क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015 में जिला उद्योग केन्द्र, अररिया द्वारा कुल 99 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 99 आवेदन में से मात्र 27 आवेदकों को लोन की स्वीकृति दी गई है जबकि शेष 72 आवेदन बैंकों में लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या शेष 72 आवेदन स्वीकृत कर आवेदकों को रोजगार सृजन करने हेतु ऋण दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बकाया का भुगतान

*1170. मो० नेमतुल्लाह–क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के सासामुसा चीनी मिल मालिकों के यहाँ विगत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का 10 लाख रुपये किसानों का बकाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसान के बकाया (सूद सहित) का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

'ख'-*1171. श्रीमती कुन्ती देवी–क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी प्रखंड के अमित चौधरी ग्राम-नरावर, सुनील कुमार, ग्राम-बहुआरा, राकेश कुमार, ग्राम-सिर्पाल ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को गया जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में मिलकर नीमचक बथानी अनुमंडल के कर्मचारी एवं पदाधिकारी के विरुद्ध लिखित शिकायत किया था जिसपर जिला पदाधिकारी, गया ने त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्रवाई के विरोध स्वरूप शिकायतकर्ताओं पर अनुमंडल के कर्मचारी ने झूठा मुकदमा खिजरसराय थाना कांड संख्या 03/16, दिनांक 20 जनवरी, 2016 दर्ज कर दिया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मुकदमें की निष्पक्ष जाँच करवाकर दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पम्प सेट उपलब्ध कराना

*1172. श्री कृष्ण कुमार ऋषि–दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2016 को प्रकाशित शीर्षक ''निजी पम्प सेटों का मोहताज है अग्निशमन दस्ता'' के संबंध में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमनखी स्थित अग्निशमन कार्यालय के अग्निशमन गाड़ियों में पानी निजी पम्प सेट से भरा जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यालय में पानी भरने हेतु बोरिंग की व्यवस्था भी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय में अग्निशमन गाड़ियों में पानी भरने हेतु पम्प सेट उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट–'क' दिनांक 27 फरवरी, 2016 को सदन द्वारा उद्योग विभाग को स्थानांतरित।

'ख' गृह विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित।

कार्रवाई करना

*1173. <u>श्री ललित कुमार यादव</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत रामपुर पूर्वी पंचायत के नजरा मुहम्मदा चौक पर दिनांक 15 अगस्त, 2015 को झंडोत्तोलन के बाद मो0 महफूज आलम पर कई मुकदमा में आरोपित रजी आलम एवं उसके भतीजे द्वारा जानलेवा हमला किया गया जिससे संबंधित मनीगाछी थाना कांड सं0 214/15 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इलाज के दौरान अभियुक्तों द्वारा धमकी दिये जाने एवं वापस न लेने पर थाना प्रभारी की मिली भगत से फर्जी फर्दबयान तैयार कर झूठा मुकदमा 218/15 दर्ज कर दिया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि साजिश के तहत मुख्य अभियुक्त रजी आलम को बिना साक्ष्य के 214/15 से मुक्त कर अन्य दो अभियुक्तों को थाना से ही अग्रिम जमानत दे दी गई ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महफूज को मुक्त करने एवं 214/15 के अभियुक्तों एवं पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1174. <u>श्री मुजाहिद आलम</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के मौजा हिम्मतनगर व नजरपुर मौजा में पिपला कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पिपला कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1175. <u>श्री लक्ष्मेश्वर राय</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना थाना एवं ललमनिया थाना का भवन नहीं रहने के कारण पुलिस कर्मी तथा हथियार असुरक्षित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार खुटौना थाना एवं ललमनिया थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण रद्द नहीं करने का औचित्य

*1176. <u>श्री ललन पासवान</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य रेल प्रक्षेत्र के आदेश संख्या 47/2014 में पटना रेल जिला बल के महिला सिपाहियों सर्वश्री नन्दा देवी, कौशल्या देवी, सुनैना देवी, शिला देवी, कमलेश राय, गणेश राम सिंह, भरत यादव, लाल मुनी पाण्डेय, कंचन झा एवं दलित महिला सिपाही श्रीमती नभा देवी एवं भद्र आशिया देवी का स्थानान्तरण किया गया है तथा पुनः प्रक्षेत्रादेश संख्या 54/15 एवं 77/15 द्वारा उक्त स्थानान्तरण को रद्द कर दिया गया है परन्तु दो दलित महिला सिपाहियों का स्थानान्तरण रद्द नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1177. श्री नारायण प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेतिया पुलिस जिलान्तर्गत श्रीनगर थाना स्थापना काल से एक झोपड़ी में चल रहा है, लेकिन आजतक भवन निर्माण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार श्रीनगर थाना भवन, पुलिस बैरक एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू कराना

*1178. श्रीमती अरुणा देवी—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1953 में हुई, जो वर्ष 1993 से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल बंद हो जाने के कारण उसमें कार्यरत कामगारों एवं गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1179. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के मोजाबाड़ी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मोजाबाड़ी कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गाड़ी मुहैया कराना

*1180. श्री राजकुमार राय—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान-सभा के हसनपुर एवं बिथान थाना में जर्जर जीप है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों थाना को नया गाड़ी मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1181. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा पत्रांक 273, दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 को माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के सरकारी मान्यता-प्राप्त मदरसा जामिया मुनीरूल बुनात, रूपौली में भवन एवं शौचालय निर्माण कराने हेतु पत्र लिखा था;

(2) क्या यह बात सही है कि मदरसा में पर्याप्त भवन एवं शौचालय नहीं रहने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मदरसा में भवन एवं शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारवाई करना

*1182. श्री भाई वीरेन्द्र—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिहटा चीनी मिल की कुल भूमि 41.01 एकड़ है, उक्त भूमि में से 5 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा 23.78 एकड़ भूमि प्रीस्टाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को लीज पर दिया गया, परन्तु कम्पनी द्वारा लीज के 23.78 एकड़ से अधिक भूमि पर घेराबन्दी की जा रही है, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध लीज से अधिक भूमि की घेराबन्दी करने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1183. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड के भतनी ओ० पी० को अपना भवन नहीं है, जिसके कारण थाना को कार्य करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ओ० पी० का अपना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारा का निर्माण

*1184. श्री जय वर्धन यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला का पालीगंज प्रखंड अनुमंडल होने के बावजूद वहाँ कैदियों के लिये कारा की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कैदियों को दानापुर कारा लाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार पालीगंज अनुमंडल में कैदियों के लिये कारा का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*1185. श्री (डॉ०) सुनील कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिहारशरीफ शहर के वर्तमान लहेरी थाना प्रभारी ने दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को सरकारी काम में बाधा डालने हेतु थाना कांड संख्या 336/15 को दर्ज किया गया है, जिसमें नामजद अभियुक्तों की आजतक गिरफ्तारी नहीं हुई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त थाना कांड में नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

24 घंटे चालू रखना

*1186. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि महिला सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पटना की महिलाओं के लिये टॉल फ्री नं० 181 योजना प्रारम्भ की गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि टॉल फ्री नं० 181 प्रतिदिन सिर्फ 8 घंटे ही काम करता है जबकि इसकी जरूरत 24 घंटे की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टॉल फ्री नं०181 को 24 घंटे चालू रखने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वासित कराना

*1187. श्री विजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आत्मसमर्पित एम०सी०सी०(माओवादी) नक्सलियों के पुनर्वास हेतु सरकार कृतसंकल्पित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत लहेरियासराय के प्रकाश मल्लिक, पे० श्री रामाशंकर मल्लिक, लक्ष्मी सहनी, पे० स्व० रामचरण सहनी, देवानंद शर्मा, पे० स्व० सुरेन्द्र शर्मा, योगेन्द्र राय, पे० छने राय सहित 11 नक्सलियों ने लहेरियासराय के पोलो मैदान में 17 फरवरी, 2002 को आत्म समर्पण किया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आत्मसमर्पण किये गये उक्त नक्सलियों को पुनर्वासित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1188. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में एम०एस०डी०पी० योजना के तहत लगभग 20 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य प्रक्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राशि से पूर्णियाँ जिला के कृत्यानन्द नगर प्रखंड अधीन बनारीकोल, चकला, मोगलटोली, बनभाग ग्रामों में पी०सी०सी० सड़क, नाला आदि का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना

*1189. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया विधान-सभा क्षेत्र तसर बाहुल्य क्षेत्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तसर उत्पादन के लिये तकनीकी सहायता एवं बाजार उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तसर के उत्पादन के लिये तकनीकी सहायता एवं विपणन हेतु कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है ?

यातायात की व्यवस्था

*1190. श्री अजीत शर्मा—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर शहर के यातायात व्यवस्था के लिये स्वचालित लाईट यातायात प्रणाली नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर शहर में स्वचालित यातायात प्रणाली नहीं होने के कारण शहर में आये दिन जाम की समस्या बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भागलपुर शहर के लिये स्वचालित लाईट यातायात प्रणाली की व्यवस्था कराने का विचार रखती है; नहीं, तो क्यों ?

चार्ज माफ करना

*1191. श्री अजीत शर्मा—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला स्थित भागलपुर हवाई अड्डा पर प्रति विमान उतारने के लिये 65 हजार रुपये लैंडिंग चार्ज लगता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भागलपुर हवाई अड्डा पर विमान उतारने के लिये लैंडिंग चार्ज माफ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1192. श्री वशिष्ठ सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत कोचस एवं करगहर प्रखंड के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पठन-पाठन के लिये छात्रावास नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोचस प्रखंड मुख्यालय में विशाल सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोचस प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1193. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत प्रखंड फुलपरास के ग्राम पंचायत रामनगर अन्तर्गत ग्राम मुरियाही, पकड़िया एवं गोरगामा में अल्पसंख्यक जाति के लोग काफी संख्या में बसे हुए हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित गाँवों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दफनाने के लिये एक-एक कब्रिस्तान है, जिसकी चहारदीवारी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन बनवाना

*1194. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखंड के पीरपुर थाना का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लखीसराय नक्सल प्रभावित जिला में पुलिस शस्त्र की लूट की घटना 2012 में हो चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना की सुरक्षा हेतु थाना का अपना भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*1195. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव 2009 से सरकार के विचाराधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बछवाड़ा अनुमंडल के लिये सभी अर्हता पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बछवाड़ा प्रखंड को कबतक अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्पादन बंद करने का औचित्य

*1196. श्री अवधेश सिंह—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में रसवंती नाम से फलों के रस एवं अन्य उत्पाद बनाये जाते थे, जिसकी माँग विश्वव्यापी थी, किन्तु इसका उत्पादन सरकार के द्वारा विगत 20 वर्ष पूर्व से बंद कर दिया गया, यदि हाँ, तो इतने महत्वपूर्ण उत्पाद के उत्पादन को बंद करने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1197. मो० तौसीफ आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के पंचायत महम्मद नगर के ग्राम-खरमेल में एक विशाल कब्रिस्तान है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1198. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत मोहनपुर ग्राम पंचायत के कुमाहा गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1199. <u>श्री ललित कुमार यादव</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के पंचायत मोरसकी के जरूरा गाँव, पंचायत रैयामघाट के आमी गाँव और पंचायत ब्रह्मपुर के फकीर मोहल्ला के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नौकरी देने का विचार

*1200. <u>श्री अशोक कुमार (132)</u>--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड के बरियाही घाट पर करेह नदी के तट पर दिनांक 6 अप्रील, 1998 को भयंकर नौका दुर्घटना में 23 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन सरकार द्वारा ऐसे सभी परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा वर्ष 1998 में की गयी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस घटना में पीड़ित परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1201. <u>श्री रामसेवक सिंह</u>--क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के प्रखंड हथुआ के ग्राम पंचायत राज फतेपुर के ग्राम-पैठली बाजार में बैंक की कोई शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम की जनसंख्या लगभग 10,000 है जबकि 5,000 जनसंख्या वाले गाँवों में बैंक की शाखा खोलने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैठली बाजार में बैंक की शाखा खुलवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1202. <u>श्री महेश्वर प्रसाद यादव</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत एन०एच० 57 चाँदनी चौक से भाया जीरोमाईल बखरी चौक तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, जिससे उक्त सड़क पर वाहनों का आवागमन का भारी दबाव रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1203. डॉ० शकील अहमद खाँ : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डंडखोरा प्रखंड के सिकरापुर ग्राम पंचायत के मधुरापुर तथा बुधैली, सीलिया पंचायत के मौरिया कब्रिस्तानों के परिसर की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में कब्रिस्तान के परिसर का घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस इकाई बनाना

*1204. श्री विजय कुमार सिन्हा : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत लखीसराय नगर परिषद् क्षेत्र में यातायात पुलिस इकाई नहीं रहने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लखीसराय नगर परिषद् क्षेत्र में यातायात पुलिस इकाई बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थानों की संख्या बढ़ाना

*1205. श्री अवधेश सिंह : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर नगर परिषद् के 35 वार्डों की आबादी सवा लाख है, किन्तु इस आबादी की सुरक्षा हेतु मात्र एक ही थाना कार्यरत है, जिससे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती है और आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हाजीपुर नगर में थानों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1206. श्री सत्यदेव सिंह—क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत कुर्था विधान-सभा क्षेत्र के करपी एवं वंशी प्रखंडों के मुख्यालयों में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहने से व्यापारियों एवं आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(2) यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों के मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1207. श्री सैयद अबु दौजाना : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत गंगटी के ग्राम गंगटी में स्थित ग्राम आखरा के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का आना जाना लगा रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय का स्थानान्तरण

*1208. श्री नन्द कुमार राय—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के मोतीपुर में वर्ष 1990 में पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय स्थानान्तरण की सारी प्रक्रिया पूरी होने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या सी०डब्लू०जे०सी० 2558/1990 दायर किया गया था, जिसमें तीन सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि गठित समिति द्वारा वर्ष 1993 में लिए गये निर्णय के अनुसार कुढ़नी प्रखंड को पूर्वी अनुमंडल में सम्मिलित करते हुए पश्चिमी अनुमंडल के शेष सभी प्रखंड का अनुमंडल मुख्यालय, मोतीपुर में रखा जाये था, जिसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को पत्रांक 568, दिनांक 16 जून, 1993 द्वारा भेज दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (2) में वर्णित निर्णयानुसार मोतीपुर में (पश्चिमी) अनुमंडल कार्यालय का स्थानान्तरण अभीतक नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1209. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत [illegible] प्रखंड के मौजा मोहनपुर (पत्थर [illegible] के निकट) एवं मौजा [illegible]पुर (बदि) स्थित चाक [illegible] कब्रिस्तान का अतिक्रमण कर लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अतिक्रमण के कारण अक्सर पड़ोस लोगों के साथ तनाव उत्पन्न हो जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्यिक बैंक खोलना

*1210. श्री फैयाज अहमद—क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत सिमरी बाजार जो बहुत बड़ा बाजार है, इसपर बहुत बड़ी आबादी निर्भर करती है;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ एक भी व्यावसायिक बैंक की सी०बी०एस० शाखा नहीं रहने के कारण आम नागरिकों को लगभग 20 कि०मी० दूर मधुबनी जिला मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमरी बाजार में वाणिज्यिक बैंक (सी०बी०एस०) खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1211. श्री कैलाश अमर—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहियाँ बाजार में दिनांक 22 नवम्बर, 2015 को दिलदारपुर सुदामा सिंह, पूर्व सैनिक को जलाकर हत्या करने संबंधी बिहियाँ थाना कांड संख्या 325/15, दिनांक 22 नवम्बर, 2015 धारा 341/326/329/307/34 एवं परिवर्तित धारा 302 भा०द०वि० दर्ज किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि मृतक सुदामा सिंह द्वारा मृत्यु पूर्व दिये गये बयान एवं परिजन द्वारा उपलब्ध कराये गये विडियो रेकार्डिंग में भी अभियुक्त कामाख्या सिंह सहित तीन अन्य अभियुक्तों द्वारा जलाकर मारने की बात कही गयी है फिर भी प्राथमिक अभियुक्त कामाख्या सिंह को छोड़कर शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिक को दिलदारपुर जलाकर मारने वाले फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने एवं इसमें शिथिलता बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस केन्द्र खोलना

*1212. श्रीमती गायत्री देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखण्ड के भीसा बाजार में वर्ष 2015-16 में चार घरों में भीषण डकैती की घटना हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि भीसा बाजार पर पुलिस केन्द्र को 2 वर्ष पूर्व बंद किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भीसा बाजार पर पुलिस ओ०पी० या पुलिस केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देने का विचार

*1213. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैरकृषिक क्षेत्रों के लोगों का स्वरोजगार हेतु ऋण देना है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में उक्त योजना के तहत आवेदक बैंक द्वारा 51 आवेदक को भी ऋण नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवेदकों को इस योजना का शीघ्र लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1214. श्री निरंजन चन्द्र यादव—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिमरी बख्तियारपुर में कई शिक्षण संस्थान (महाविद्यालय उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं मदरसा) में अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या अधिक है, परन्तु अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं रहने से अल्पसंख्यक छात्रों को काफी दिक्कत होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रावधानानुसार अनुमंडल मुख्यालय सिमरी बख्तियारपुर में एक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्य की जाँच

*1215. श्री तौसीफ आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के दिघलबैंक प्रखण्ड अन्तर्गत कमाती कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य लगभग 42,00,000 की प्राक्कलित राशि से प्राक्कलन के अनुरूप कार्य कराया जाना था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य में दो नं० ईंट, स्थानीय मिट्टीयुक्त बालू, सीमेंट एवं बालू का 1:8 मिश्रण का उपयोग किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान घेराबन्दी कार्य की जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*1216. श्री दिनेश चन्द्र यादव—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय कार्यालय भवन के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला पदाधिकारी को राशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण रूकी है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूमि अधिग्रहण के लिये राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1217. श्री (मो०) नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान नगरपालिकान्तर्गत खुरमाबाद कब्रिस्तान की दस कट्ठा भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर कब्रिस्तान का रास्ता बन्द कर दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को कबतक घेराबन्दी कर अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1218. श्री समीर कुमार महासेठ—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल के कोठिया ग्राम में स्थित कब्रिस्तान है, जिसका खाता नं० 816, खेसरा 555, पुराना खाता नं० 3473, खेसरा 1559 है, की घेराबन्दी आजतक नहीं की गयी है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोठिया ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1219. <u>श्री रमेश ऋषिदेव</u>- क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड के बेलारी ओ॰पी॰ को अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ओ॰पी॰ के लिए भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय शुरू कराना

*1220. <u>श्री (मो॰) जावेद</u>- क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला मुख्यालय परिसर में भविष्य निधि कार्यालय के लिये भवन तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि भविष्य निधि का कार्यालय पूर्णियाँ होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त तैयार भवन में कार्यालय शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1221. <u>श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह</u>- क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के परसौनी खालीत पंचायत में किसी भी बैंक की कोई शाखा नहीं रहने से वहाँ के बैंक संबंधित उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है; जबकि उक्त ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 12 हजार से ज्यादा है;

(2) क्या यह बात सही है कि 5 हजार से अधिक की आबादी वाले गाँव/पंचायत में बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार परसौनी खालीत में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है । वित्तीय सेवायें विभाग (वित्त मंत्रालय) भारत सरकार के पत्रांक 21/13/2009, दिनांक 4 अप्रील, 2012 एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 40वीं बैठक दिनांक 16 मई, 2012 में 5 हजार की आबादी पर बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया है ।

वर्ष 2015-16 में विभिन्न बैंकों को [illegible] शाखा खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध मात्र 302 बैंकों की शाखा खोले जाने की सूचना प्राप्त है । संयोजक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में 10,000 और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले ग्रामों को पहले लक्षित किया गया है ।

(2) स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त सूचना के अनुसार परसौनी खालीत पंचायत के किसी ग्राम की आबादी 5 हजार से अधिक नहीं है ।

(3) परसौनी खालीत पंचायत के मेहसी में भारतीय स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा कार्यरत है । पंचायत से 3 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय स्टेट बैंक की कल्याणपुर शाखा कार्यरत है । परसौनी खालीत पंचायत को भारतीय स्टेट बैंक की कल्याणपुर शाखा तथा ग्राहक सेवा केन्द्र से बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो रही है ।

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1222. <u>डॉ॰ शकील अहमद खाँ</u>- क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा प्रखंड के शिवपुर एवं सिकोरना पंचायत के कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पिकेट स्थापित करना

*1223. श्री अभय कुमार सिंह उर्फ अभय कुशवाहा—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के कोंच प्रखंड अंतर्गत देवरा बाजार में संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण पुलिस पिकेट बनाया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि देवरा बाजार में कार्यरत पुलिस पिकेट को चार वर्षों पहले हटा दिया गया, जबकि क्षेत्र अभी भी अतिसंवेदनशील है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुये पुनः देवरा बाजार में पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध दिवाल हटाना

**'ग'*1224. श्री प्रमोद कुमार—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी नगर वार्ड सं0 24 के निकट [illegible] चौक रहमत नगर में लगभग तीन एकड़ पुराना मन्दिर एवं मजार स्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि भू माफियाओं से प्रभावित होकर स्थानीय अंचल अधिकारी एवं सदर अनुमंडल अधिकारी द्वारा जबरन मन्दिर एवं मजार की चहारदीवारी तोड़फोड़ कर दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 को दिवाल खड़ा करा दिया जबकि जिला अधिकारी के दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 एवं 17 दिसम्बर, 2013 के प्रतिवेदन में मन्दिर व मजार की जमीन को सही बताया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला अधिकारी के आदेश के प्रतिवेदन की अवहेलना करने वाले भू माफिया एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा अवैध दिवाल हटाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जिला बनाने का विचार

*1225. श्री गुलाब यादव—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल की जनसंख्या 20 लाख है;

(2) क्या यह बात सही है कि झंझारपुर जिला नहीं बनने के कारण आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झंझारपुर को जिला बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1226. श्री नन्द किशोर यादव—क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष 2012 में बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो नियमावली, 2012 अधिसूचित किया है, जिसमें सतत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हेतु कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का एक अलग संवर्ग बनाने का निर्णय लिया गया था तथा इसमें सीधी नियुक्ति से भर्ती किये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित संवर्ग हेतु अभीतक सीधी नियुक्ति नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिये अलग संवर्ग बनाकर सीधी नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट: 'ग' गृह विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानान्तरण ।

सुविधा उपलब्ध कराना

*1227. श्री मेवालाल चौधरी— क्या मंत्री, संस्थागत वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड अन्तर्गत बनगामा पंचायत के [illegible] गाँव में अभीतक बैंक की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार [illegible] गाँव में बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*1228. श्री [illegible] कुमार— हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित शीर्षक "[illegible]" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत महिला थाना दरभंगा के केस संख्या 49/15 में गंभीर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज है, परन्तु पुलिस द्वारा अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1229. मो० तौसीफ आलम— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के [illegible] पंचायत के [illegible] कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार [illegible] कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1230. श्री अमरनाथ गामी— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल सहायक थाना विगत तीन वर्षों से आनंदपुर हाई स्कूल स्टेडियम में चल रहा है एवं थाना का अपना भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना स्टेडियम में होने से छात्रों को खेलने एवं पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त थाना का अपना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थायीकरण करना

*1231. श्री चन्द्रसेन प्रसाद— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड के पारथु, मकदुमपुर पंचायत के पारथु मठ के महंथजी की हत्या दिनांक 10 जून, 2015 को हो गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना के बाद दिनांक 20 जून, 2015 से अस्थायी रूप से पुलिस चौकी का निर्माण पारथु, मकदुमपुर मोड़ पर किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) में वर्णित पुलिस चौकी को स्थायीकरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*1232. डॉ॰ रंजू गीता: क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी कारा में महिलायें और पुरुष कैदियों की क्षमता अत्यधिक है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला मंडल कारा में क्षमता से अधिक कैदी होने से पीने का स्वच्छ पानी एवं शौचालय, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला/पुरुष वार्ड का अभाव आदि की समस्यायें हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कारा में महिला और पुरुष विक्षिप्त कैदी के लिये अलग-अलग वार्ड के साथ साथ पीने का पानी की व्यवस्था एवं शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1233. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव: क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मीनापुर विधान सभा क्षेत्र के मदारीपुर पंचायत अन्तर्गत ग्राम गन्नीपुर और मदारीपुर कर्ण पंचायत के ग्राम-मुरलीचक में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

मुकदमा वापस लेना

*1234. श्री महबूब आलम: क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के खुदवाँ थाना अन्तर्गत सिमरी ग्राम के का॰ रामबली यादव अपने माँ के देहान्त 26 दिसम्बर, 2015 के दिन अपने सभी सगे संबंधियों के साथ शोकाकुल अवस्था में अपने घर पर मौजूद थे;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परिस्थिति में खुदवाँ थाना प्रभारी मनोज राम, सादी वेश में अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ अपराधी पकड़ने के नाम पर उनके घर पर छापामारी की, सामानों की लूट-पाट व लोगों को गाली-गलौज किया जिसका विरोध ग्रामवासियों ने किया;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना प्रभारी ने का॰ रामबली यादव सहित 30 व्यक्तियों पर झूठा मुकदमा कर दिया जिसका एफ॰ आई॰ आर॰ खुदवाँ थाना कांड संख्या 56/15, 26 दिसम्बर, 2015 धारा 147,149,188, 341, 229, 225, 353, 504 भा॰ द॰ वि॰ सी॰एल॰ए॰ एक्ट है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार का॰ रामबली यादव पर किये गये मुकदमा वापस लेने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1235. श्रीमती (डॉ०) रंजू गीता—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मेहसौल गोट में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास की स्वीकृति 14 वर्ष पूर्व मिली हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि डुमरा प्रखंड के मेहसौल पूर्वी पंचायत के थाना नं० 316, खाता नं० 1693, खेसरा नं० 1770 व रकवा 70 डी० जमीन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 14 वर्ष पहले दी गई है, लेकिन अभीतक अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित स्थान पर कबतक अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नया चीनी मिल खोलना

*1236. श्रीमती गायत्री देवी—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत उद्योग के नाम पर एक मात्र रीगा सुगर मिल है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिये सीतामढ़ी जिला के सुरसंड एवं परिहार में नया चीनी मिल खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*1237. श्रीमती ममता देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के सिन्धुगढ़ में वर्ष 1989 से 2008 तक पुलिस पिकेट थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुलिस पिकेट झारखंड के बार्डर में था यह क्षेत्र अत्यंत ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिन्धुगढ़ के उग्र प्रभावित क्षेत्र को देखते हुये पुनः सिन्धुगढ़ में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू कराना

*1238. श्री नन्द कुमार राय—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखंड में अवस्थित चीनी मिल 25 वर्षों से बन्द है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल को चालू करने के लिये वर्ष 2008-09 में आई०पी०एल० कम्पनी को दिया गया था, लेकिन आजतक चालू नहीं हो सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोतीपुर चीनी मिल को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों पर कार्रवाई

*1239. डॉ० सुनील कुमार--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र (हिन्दुस्तान) में दिनांक 25 जून, 2015 को प्रकाशित शीर्षक ''मसौढ़ी में गला घोंटकर बहू को मार डाला'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड के स्टेशन रोड निवासी नवविवाहिता मीनू सिन्हा को संजीव कुमार (पति), कामदेव प्रसाद (ससुर), चमेली देवी (सास) के अलावे तीन ननदों द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई, परन्तु अबतक उक्त अभियुक्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में नामजद अभियुक्तों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेट्रोलिंग की व्यवस्था

*1240. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिया रेल गुमटी से सटे पूरब, मनियाँ एन०एच० 81 पुल तथा कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर प्रखंड के एन०एच० 81 पर स्थित लाभा पुल पर नियमित गश्ती नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों तथा अपराधियों के द्वारा राहजनी, वाहनों से जबरदस्ती अवैध वसूली, छिनतई तथा हत्या की घटना की जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि मनियाँ रेल गुमटी के समीप 20 दिन पूर्व श्री लखन अग्रवाल नामक व्यवसायी की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

जूट मिल खोलना

*1241. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज तथा भरगामा प्रखंड के किसान व्यापक पैमाने पर जूट की खेती करते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रखंड में कोई जूट आधारित उद्योग नहीं रहने से किसानों को उत्पादित जूट का सही मूल्य नहीं मिल पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय किसानों के हित में रानीगंज में एक जूट मिल खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरित करने का विचार

*1242. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के अकिलपुर पंचायत का राजस्व सीमा सारण जिला है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत का प्रशासनिक कार्य (शिक्षा, कानून व्यवस्था, वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य) दानापुर, पटना से सम्पादित होता है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत का काम-काज दो जिला से सम्पादित होने के कारण समुचित विकास नहीं हो पा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के सारे प्रशासनिक कार्य सारण जिला स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मूर्ति चोरी रोकना

*1243. श्री संजय सरावगी--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "5 साल में दो सौ से अधिक मूर्तियों की चोरी" को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में प्राचीन एवं पुरातात्विक महत्व की मूर्तियाँ पिछले 5 सालों से अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के निशाने पर रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014 तथा 2015 में मूर्ति चोरी की क्रमशः 30, 62, 65, 40 एवं 32 घटनायें हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रदेश में मूर्ति चोरी को रोकने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1244. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बेलसंड प्रखंड अन्तर्गत श्री मैरा मिल्लतिया पुस्तकालय, भांवो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना था, जिसमें एक कमरा एवं एक हॉल है, जो पूर्णतः जर्जर हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्रांक 507 (अ०), दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उक्त ऐतिहासिक पुराना पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु पत्र लिखा गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुस्तकालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1245. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड के लखनपुर ग्राम पंचायत के बेलवाछी गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*1246. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी थाना से संबंधित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधा नहीं है जिससे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को काफी परेशानियाँ होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी पुराना थाना महादेव मंदिर के निकट काफी जमीन उपलब्ध है, जिसपर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी पुराना थाना महादेव मंदिर के निकट की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराते हुये उसपर उक्त आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*1247. श्री मिथिलेश तिवारी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 17 नवम्बर, 2011 को गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर थानान्तर्गत चमनपुर ग्राम के मंदिर से अष्टधातु की (लगभग 100 करोड़ की) भगवान विष्णु की ऐतिहासिक और पौराणिक मूर्ति चोरी हुई थी जिसका बैकुण्ठपुर थाना कांड संख्या 209/2011 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मूर्ति की बरामदगी किये बिना ही तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोपालगंज के टेलीफोनिक निदेश पर कांड का अनुसंधान बंद कर दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मूर्ति की बरामदगी तथा मूर्ति चोरों की गिरफ्तारी के लिये उक्त कांड की पुनः उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना की स्थापना

*1248. श्री चन्दन कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के शुम्भा गावोफाट में कोई थाना नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर थाना की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1249. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड के झझवाँ स्थित राकेश मेडिकल हॉल, झझवाँ बाजार, बैकुण्ठपुर प्रखंड के अन्तर्गत सरस्वती मेडिकल हॉल, दिघवा दुबौली, भारतीय मेडिकल हॉल, दिघवा दुबौली बाजार, गोपाल मेडिकल हॉल, दिघवा दुबौली बाजार, रामवती मेडिकल हॉल, दिघवा दुबौली बाजार, आशीर्वाद मेडिकल हॉल, दिघवा दुबौली बाजार, दवा दुकान जनता बाजार (कुशाम्पुर) एवं जनता मेडिकल हॉल, गोपीपुर बाजार के संचालक द्वारा कम्प्यूटरीकृत विपत्र क्रेता को नहीं दी जाती है तथा वाणिज्य करों की चोरी की जाती है, जिससे राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व का नुकसान हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दवा दुकानों की जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन देना

*1250. श्री महानन्द सिंह—क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा बिहार जर्नलिस्ट पेंशन योजना रूल्स, 2015 के अधीन निर्गत अधिसूचना के आधार पर जर्नलिस्ट को पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1251. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में स्थित कसबा थाना का चहारदीवारी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना का चहारदीवारी नहीं होने से थाना के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना का चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

*1252. श्री संजय सरावगी—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "किसान क्रेडिट कार्ड की रफ्तार धीमी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक बिहार में बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध क्रमश: 56.2; 60.56, 67.81, 77.45, 83.00, 69.06,54.39, 57.59, 71.61 एवं 66.35 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जा सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में 15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अबतक मात्र 4.3 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण ही बैंकों द्वारा किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों के बीच शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड वितरण हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० खोलना

*1253. श्री राजीव नन्दन—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरुआ थाना के अंतर्गत भरौंधा बाजार में वर्ष 1972 से 2005 तक पुलिस ओ०पी० कार्यरत था ;

(2) क्या यह बात सही है कि नक्सलियों/असामाजिक तत्वों द्वारा निर्माणाधीन पुलिस ओ०पी० को वर्ष 2006 में क्षतिग्रस्त कर दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गुरुआ के भरौंधा अन्तर्गत वहाँ के भौगोलिक एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये वहाँ पुलिस ओ०पी० को पुन: खोलने की आवश्यकता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1254. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के सोनौली टिकापुर पंचायत के मिसौकरी पक्की सड़क के बगल में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सम्मानित करना

*1255. श्री प्रमोद कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 7 जुलाई, 1974 को लोकनायक जे०पी० के नेतृत्व में मुख्य मंत्री के इस्तीफे एवं विधान-सभा भंग करने के उद्देश्य से विधान-सभा का घेराव किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उसमें श्री गौरीशंकर प्रसाद कानोडिया, मो० महादेव प्रसाद, श्री शिव कुमार कुशवाहा, श्री उमाशंकर प्रसाद समेत सैकड़ों आन्दोलनकारी अपनी गिरफ्तारी देकर 7 जुलाई 1974 से 10 सितम्बर, 1974 तक भागलपुर सेन्ट्रल जेल में बंद थे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (2) में वर्णित आन्दोलनकारियों जिन्होंने जे०पी० स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु अपना आवेदन जमा किया है, उन्हें जे०पी० पेंशन योजना अन्तर्गत सम्मानित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बंदियों की रिहाई

*1256. श्रीमती कुन्ती देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली भारत के जेलों में आजीवन सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई पर रोक के कारण 14 वर्ष सश्रम एवं परिहार सहित, 20 वर्ष पूरा होने के उपरान्त भी बंदियों की रिहाई नहीं की जा रही थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पीटिशन (सी०आर०एल०) नम्बर 48/2014 के आलोक में पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 जुलाई, 2014 को पुनरीक्षित फैसले में मात्र दो तरह के सजा प्राप्त बंदियों पर रिहाई का रोक लगाते हुये उच्चतम न्यायालय के आदेश की कंडिका 4 के III एवं IV को छोड़कर सभी प्रकार के सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने का आदेश सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तत्काल परिहार परिषद् की बैठक बुलाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में सजा काट चुके बंदियों को रिहाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन बनाना

*1257. श्री राज कुमार राय—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान-सभा के हसनपुर थाना को अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हसनपुर थाना पी०एच०ई०डी० के अतिथिशाला में विगत 10 वर्षों से चलता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अतिथिशाला में थाना संचालन होने से आरक्षी को रहने में भी कठिनाई होती है तथा कैदियों को अतिथिशाला के शौचालय में रखा जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हसनपुर थाना भवन बनाने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना

*1258. श्री (मो०) नवाज आलम—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सदर में वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं कराई गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1259. <u>श्री नौशाद आलम</u>—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के प्रखंड ठाकुरगंज में आई०, ठाकुरगंज में लगभग दो करोड़ की लागत से एम०एस०डी०पी० अन्तर्गत छात्रावास निर्माणाधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास निर्माण में प्राक्कलन के विरुद्ध मिट्टीयुक्त लोकल बालू, दो नम्बर ईंट एवं मसाला निर्माण में बंगाल निर्मित सिमेंट एवं बालू 1:8 के अनुपात में मिश्रण कर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य की जाँच कराकर दोषी अभिकर्ता पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभेदों को सार्वजनिक करना

*1260. <u>श्री नारायण प्रसाद</u>—दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 को हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "डी०एम० ने माँगी निम्न प्रभेद गन्ने की आपूर्ति की सूची" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत पड़ने वाले चीनी मिलों द्वारा किसानों से कौन-कौन (प्रभेद 99) के गन्ने लिये गये हैं तथा किन प्रभेदों को छंटनी की गयी है उसका विस्तृत रिपोर्ट 22 दिसम्बर, 2015 को जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया ने मिल प्रबंधकों से माँगी थी जो अभीतक मिल प्रबंधकों ने उपलब्ध नहीं कराया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसान संघों ने 10 दिसम्बर, 2015 को जिलाधिकारी से शिकायत किया था कि मिलों द्वारा विभिन्न प्रभेदों के गन्ने की तौल नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिलों द्वारा लिये गये गन्ना के प्रभेदों को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नहीं बनाने का औचित्य

*1261. <u>श्री नन्दकिशोर यादव</u>—क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिये सी०बी०आई० न्यायालयों की तर्ज पर निगरानी विभाग के लिये विशेष न्यायालय बनाने का निर्णय लिया था किन्तु इस दिशा में सरकार ने अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की है, यदि हाँ, तो विशेष न्यायालय को नहीं बनाने का क्या औचित्य क्या है ?

अनुमंडल का दर्जा देना

*1262. <u>श्रीमती प्रेमा चौधरी</u>—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखंड में 32 (बत्तीस) पंचायत हैं जो अनुमंडल की सारी शर्तें पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1263. श्री सैयद अबु दौजाना—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत अरापुर दक्षिणी पंचायत के ग्राम-शाहपुर के अहिया टोला में अल्पसंख्यक सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में बिहार सरकार की 36 डी० जमीन उपलब्ध है जिसका खाता नं० 2418, खेसरा नं० 8595 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन पर अल्पसंख्यक सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का दर्जा देना

*1264. श्री राघव शरण पांडेय—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री द्वारा ''जनता के द्वार'' कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2012 में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा अनुमंडल मैदान में बगहा को राजस्व जिला बनाने का आश्वासन दिया गया था परन्तु अबतक जिला का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बगहा को जिला का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1265. श्री रामसेवक सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के प्रखंड फुलवरिया के ग्राम पंचायत राज भगुआ बाजार के ग्राम लालपुर में लगभग 2 एकड़ में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास बनाना

*1266. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुन प्रखंडान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास नहीं होने से काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार खोलना

*1267. श्री निरंजन कुमार मेहता—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज प्रखंड में उप कोषागार नहीं होने के कारण इस इलाके के आम जनता को 35 कि० मी० दूर मधेपुरा जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उदाकिशुनगंज प्रखंड में उप-कोषागार कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*1268. डॉ० रामानुज प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर विधान-सभा क्षेत्र का दियारा इलाका-छितरचक, रामपुर, तिवारी टोला, मरीचपट्टी, भगिनारचक, अकिलपुर, नूरिया, बसगीती, रामदासचक, सिकिलपुर, सबलपुर, जंगलपुर, प्रभुनाथ एवं पटना जिलान्तर्गत दीघा एवं दानापुर विधान-सभा क्षेत्र के पानापुर, नकटा, नवादियरी मानस, हरसपुर, पतलापुर, कासिमपुर, हेतनपुर, कासिमचक, बिशुनपुर, शंकरपुर, सिमहरा आदि गाँव चारों तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दियारा इलाके में अगलगी की घटना से सैकड़ों घर प्रतिवर्ष जलकर राख हो जाते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त इलाके में अगलगी पर काबू पाने के लिए दानापुर से अग्निशमन की गाड़ियाँ जाती हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दियारा इलाके के अकिलपुर में फायर स्टेशन की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी पूर्ण कराना

*1269. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड के अन्तर्गत 16 कब्रिस्तान हैं, जिसमें मात्र 04 कब्रिस्तानों की घेराबंदी वर्ष 2010-11 में प्रारम्भ की गयी, परन्तु अभीतक बिर्छौच तथा सलवड़ की कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूर्ण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महोत्सव का दर्जा

*1270. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड के जसौली पट्टी में प्रति वर्ष दिनांक 16-17 अप्रील को महात्मा गाँधी के प्रारम्भिक चम्पारण यात्रा को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन मा० मंत्री के आपांक 1237, दिनांक 9 अगस्त, 2012 के माध्यम से यह कहा गया कि कला-संस्कृति विभाग से विमर्शोपरान्त उक्त महोत्सव को सरकारी महोत्सव के रूप में मनाया जा सकेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रथम चम्पारण यात्रा स्मृति दिवस को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ0 पी0 खोलना

*1271. श्री लक्ष्मेश्वर राय—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड के कोठिया में पुलिस ओ0 पी0 नहीं रहने के कारण 20 हजार की आबादी असुरक्षित है; यदि हाँ, तो क्या सरकार लोगों की सुरक्षा हेतु कोठिया में पुलिस ओ0 पी0 खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र बनाना

*1272. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुण प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में औरंगाबाद से बारुण प्रखंड में अग्निशामक को आने में समय अधिक लगता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बारुण प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल की स्थापना

*1273. श्रीमती सावित्री देवी—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला का निर्माण वर्ष 1991-92 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड में चकाई स्थित अनुमंडल बनाने के लिए सारी अर्हताओं को धारित करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमुई जिला के चकाई विधान-सभा क्षेत्र में अनुमंडल की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*1274. डॉ0 अशोक कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित सरकारी आवास सं0-यू/2, न्यू पुनाईचक, ऑफिसर्स फ्लैट, पटना की घेराबंदी कराने का भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2015 में निर्णय लिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय में असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा डाले जाने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा शास्त्रीनगर थाना कांड सं0-223/2015 दर्ज कराया गया, परन्तु अबतक असामाजिक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे आवास की घेराबंदी नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 14 मार्च, 2016 (ई0)।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि0 स0 मु0 (एल0 ए0) 162—डी0 टी0 पी0—500